न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/60/2014

उनवान

1. गंगाराम पिता गोविन्दराम मीणा निवासी मीणों की कोटडी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–
   1/1 देवकिशन पिता स्व0 गंगाराम मीणा
   1/2 करण पिता गंगाराम मीणा,
   1/3 मदन पिता गंगाराम मीणा,
   1/4 गीता पुत्री गंगाराम मीणा,
   1/5 शांति पुत्री गंगाराम मीणा,
   1/6 सुशील पुत्री स्व0 गंगाराम मीणा निवासी मीणों की कोटडी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. उदा पिता उरजा मीणा निवासी मीणों की कोटडी (मृतक के कायम मुकामान)
   1/1 हरजु पत्नि स्व0 उदा मीणा नाम डिलिट दिनांक 2.6.2017
   1/2 शंकर लाल पिता उदा मीणा
   1/3 कालू पिता स्व0 उदा मीणा निवासी मीणो की कोटडी हाल दुगार तहसील व जिला चित्तोडगढ
2. मिश्री पिता बरदा मीणा निवासी मीणों की कोटडी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 11/1997(पूर्व प्रकरण संख्या 71/80 रा.वा.) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता गंगाराम/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मीणा की कोटडी में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम पर आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, स्थित है। उक्त आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता की खातेदारी अधिकार की होकर प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता की कब्जेकाश्त की थी । प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो गई थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र को प्रतिवादी नम्बर 1 को फरीकी मुकदमा बनाया गया है। जमीन के पडौस निम्न प्रकार है :–

पूर्व :– ग्राम लसाडिया की सरहद पश्चिम में :–वादी की आराजी

उत्तर :– वादी की आराजी दक्षिण :– हजारी मीणा की आराजी

2. उक्त पडौसों के बीच वाली जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के नाम पर रेवेन्यू रेकार्ड में है। प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता द्वारा वादी के हक में उक्त जमीन दिनांक 27.6.68 को मौखिक बिकाव 99/–रूपये में व ताईद में एक तहरीर लिख दी । उक्त तारीख बिकाव से प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता ने वादी को उक्त जमीन का कब्जा संभला दिया व उक्त तारीख बिकाव से वादी उक्त जमीन पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ।

3. वादी व उसका लडका दिनांक 22.6.1980 को उक्त बिकाव सुदा आराजी को काश्त करने गया तो प्रतिवादी नम्बर 2 फौजदारी करने पर आमादा हुआ व प्रतिवादी नम्बर 2 एक नाजायज गिरोह बनाकर वादी व उसके लडके के साथ उक्त आराजी पर मारपीट करने के लिए आया पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी व उसके लडके द्वारा चिल्लाने से आस–पास के आदमी इकट्ठा हो गये इस तरह प्रतिवादी नम्बर 2 उक्त आराजी को काश्त करने में वादी को परेशान करता व बाधा डालता है। प्रतिवादी नम्बर 2 ने वादी को धमकी दे रखी है कि उक्त जमीन पर मैं रात या दिन में नाजायज कब्जा करके रहूंगा व वादी को डर है कि प्रतिवादी नम्बर 2 कभी भी उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा कर सकता है जबकि इस वक्त वादी ने उक्त आराजी पर ज्वार की फसल काश्त कर रखी है। अतः वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे एवं वादी के पक्ष में व प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों या नोकरों या एजेण्टों द्वारा उक्त आराजी को वादी द्वारा काश्त करने में कभी भी किसी तरह की बाधा परेशानी पैदा न करें व न ही किसी तरह की बाधा डालने के लिए किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में अपील प्रस्तुत की । जहॉ से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में अपखण्डन के बिन्दु पर विचारण करने एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश के साथ प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि मामले में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण के वाद को अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित न कर, खारिज किया जो विधिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होकर निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण ने अपने जिम्मे कायम की गई तनकियात को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पूर्णरूपेण साबित करवाया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध तय करने में भारी कानूनी व वाकियाती भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में विवादित आराजी संख्या 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा को वादी गंगाराम (मृतक) जो कि अपीलार्थीगण के पिता हैं ने दिनांक 27.6.1968 को खातेदार उरजा से खरीद की तथा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया । तब से ही इस आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता व अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार की साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत की फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण के पक्ष में तय नहीं कर तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्ध करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में विवादित आराजी पर खरीद की दिनांक 27.6.68 से ही वादी/अपीलार्थी के कब्जे में है। वादीगण/अपीलार्थीगण खरीद की दिनांक से ही वादग्रस्त आराजियात पर काबिज हो उनका कब्जाकाश्त है। आज भी उक्त आराजियात पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। वर्तमान में उक्त आराजी पर अपीलार्थीगण ने चने की फसल काश्त कर रखी है। इस प्रकार खरीद की तारीख से आज तक विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण/वादीगण का कब्जा है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का बलात कब्जा साबित होता है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद को खारिज करने में भारी भूल की है। जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

10. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि विवादित आराजियात को जब प्रत्यर्थी संख्या 1 उदा के पिता श्री उरजा द्वारा अपीलार्थीगण के पिता वादी गंगाराम को विक्रय कर दिया ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण उदा या उसके वारिसान को इस भूमि को विक्रय करने का हक अधिकार नहीं रह जाता है फिर भी उदा के मन में बदयान्ति आ जाने से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मिश्री लाल को विक्रय कर दिया तो भी किसी प्रकार के कोई अधिकार व हक मिश्री लाल को नहीं मिलते हैं क्योंकि उदा को विवादित आराजियात को विक्रय करने का हक अधिकार नहीं था। इस तथ्य को अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में साबित कराया उसके बावजूद अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में अधिनस्थ न्यायालय में उरजा की लडकियों को पक्षकार नहीं बनाया इसे भी वाद को खारिज करने का आधार माना है जो सरासर गलत है। वाद पत्र उरजा के जीवन काल में ही उरजा के विरूद्ध पेश कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में उरजा की लडकियों को व उसकी पत्नि को वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था । इस बाबत जो तनकी बनाई गई थी वह तनकी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के जिम्मे थी। जिसको प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने किसी भी तरह दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कराया है । इस तनकी को वादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध तय करने में भारी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में अधिनस्थ न्यायालय में यह तनकी कायम की गई थी कि भू भाग अपखण्ड था जिसमें वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं था। विवादित भूमि आराजी संख्या 859 रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा था जिसमें से आधा हिस्सा विक्रेता उरजा का था जो 2 बीघा 12 बिस्वा था। आधे हिस्से का खातेदार उरजा होने से उसके द्वारा सही विक्रय किया गया था। यह रकबा भू अपखण्ड की परिधि में नहीं आता है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी को वादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध तय करने में भारी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2013

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को निरस्त की जावे एवं वादी का वाद वांछित अनुतोष अनुसार डिक्री किया जावे।

13. प्रत्यर्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी को खातेदार उदा पिता उर्जा मीणा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये 2500/– की राशि प्राप्त कर प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया । जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 काबिज है। वादग्रस्त आराजियात में से 2 बीघा 12 बिस्वा अपीलार्थीगण के पिता गंगाराम द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय किया गया है । तत्कालीन प्रचलित नियमों के तहत वह वादग्रस्त आराजी जिसका रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा था उसमें से 2 बीघा 12 बिस्वा क्रय करना भू अपखण्ड की श्रेणी में आने से इस प्रकार का विक्रय नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थीगण के पिता के अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुकाबले प्रत्यर्थी संख्या 2 जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी 859 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । कब्जा भी प्रत्यर्थी संख्या 2 का है। वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू भाग पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं है वे इस तथ्य को साबित नहीं करा पाये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के पिता द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसे दिनांक 9.7.1980 को पंजीबद्ध किया गया । बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.94 को पारित की गई जिसमें वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया एवं वादी को वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार घोषित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया । अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। जिसमें तनकी संख्या 1 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया कि '' प्रतिवादी ने अपने पक्ष में कराये पंजीबद्ध दस्तावेज की ताईद में रिकार्ड एवं गवाह कराये है पर इस बात को तथ्यात्मक दृष्टि से नकारने में सफल नहीं हो पाये कि दिनांक 27.6.68 को किसी प्रकार का हस्तान्तरण हुआ ही नहीं । गिरदावरी राजस्व रेकार्ड में भी काश्त के रूप में वादी के पिता का नाम दर्ज है। इस परप्रति साक्ष्य पेश नहीं करना दावे को स्वीकारने की तारीफ में आता है। पडौसियो के बयान दिनांक 27.6.68 की खरीद की ताईद करते है। प्रतिवादी के पिता ने अपने जीवनकाल में वादी के कब्जेकाश्त में कोई दखल नहीं किया पर उसकी मृत्यु के बाद दखल किया गया । इस आधार पर तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है।

15. तनकी नम्बर 2 में भी अधिनस्थ न्यायालय ने यह माना है प्रतिवादी नम्बर 1 उदा चित्तोडगढ में निवास करता है तथा वहॉ से आकर प्रतिवादी नम्बर 2 को विक्रय दस्तावेज पंजीयन कराया है। लाखा डी डब्ल्यू 1 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 मिश्री का भाई है। का कथन है कि खरीद की दिनांक अर्थात 1980 से मिश्री काश्त कर रहा है। जिरह में यह कहना कि पास में गोगाराम की भूमि है तथा रामस्वरूप की भूमि है । यहॉ यह संदेह अवश्य प्रकट होता है कि गोगाराम ने जो भाग आराजी का खरीदा वह अपनी भूमि में मिलाकर काश्त कर रहा है। गवाह पी डब्ल्यू 4 रामचन्द्र ने उदा की भूमि कहॉ पर है जानकारी नही होने का कथन किया है। बाद में कहा कि रजिस्ट्री हुई वह मैं जानता हूॅ। इस प्रकार इस गवाह के बयानो को संदेह के घेरे में माना गया है। उदा जो स्वयं डी डब्ल्यू 3 है ने भी गोगाराम वादी की भूमि अपने पडौस में होना माना है। उदा मिश्री द्वारा की गई काश्त के बारे में नहीं बता पाया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिससे उदा के बयान भी संदेह के घेरे में माने गये हैं। इसी प्रकार गिरदावरी के विशेष विवरण में काश्त 2 बीघा 12 बिस्वा गोगा के नाम कैसे दर्ज हुई इस पर अपना प्रतिरोध प्रतिवादीगण नही कर पाये । इस आधार पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर वादी का कब्जा माना गया है।

16. तनकी नम्बर 1 व 2 के आधार पर तनकी नम्बर 3 को वादी के पक्ष में निर्णित किया गया है। इसी प्रकार तनकी नम्बर 4 को निर्णित करते हुए अंकित किया है कि " प्रतिवादी नम्बर 1 उरजा का वारिश है तथा यह भी कहता है कि उसने स्वयं ने मिश्री प्रतिवादी नम्बर 2 को जमीन उसके पिता ने विक्रय की । इसी अनुसार खाता भी उसके नाम आ चुका है। प्रतिवादीगण इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है कि उरजा की पत्नि तथा बेटियॉ इसमें आवश्यक पक्षकार रहते हैं। इस प्रकार तनकी नम्बर 4 को भी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है। इस प्रकार चारों तनकियात को निर्णित करते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया गया है।

17. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.94 की अपील प्रतिवादी सख्या 2 मिश्री लाल / अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहॉ प्रस्तुत की । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा बाद विचारण दिनांक 29.11.1996 को अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी के द्वारा विवादित भूमि 99 / – रूपये में सन 1968 में क्रय करली थी तब से यह इस पर काबिज काश्त चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत्2032 से 2035 में उसके नाम की काश्त भी दर्ज है। यदि उसने उक्त भूमि क्रय नहीं की थी तो खसरा गिरदावरी में उसका नाम कैसे आया है। रेस्पोडेन्ट ने यह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि सन्1980 में खरीदना बताया है किन्तु इससे पूर्व ही वादी का इस पर कब्जा हो चुका था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी के द्वारा खरीदी गई भूमि के विक्रय पत्र की सत्य प्रति मौजूद है। इसके उपरान्त खसरा गिरदावरी सम्वत्2032 से 2035 में भी अपीलाण्ट के पिता का नाम दर्ज है इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट उक्त भूमि सन्1980 में पंजीकृत विक्रय अभिलेख के द्वारा क्रय करना बताता है उनकी ओर से इस विक्रय अभिलेख की सत्य प्रति प्रस्तुत हुई है तथा उनके पक्ष में गवाहों ने अपने बयानों में उनके कब्जे की पुष्टि की है। विवादित भूमि की जमाबन्दी सम्वत्2035 से 2038 के अनुसार आराजी नम्बर 859 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा श्री उदा पिता उर्जा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इससे यह जाहिर है कि वादी–रेस्पो0 के द्वारा सन्1968 में किए गए क्रय के आधार पर विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज नहीं हुई तथा इस भूमि का कुल रकबा भी 2 बीघा 12 बिस्वा न होकर 5 बीघा 4 बिस्वा है। इस प्रकार उनकी ओर से यह तथ्य छिपाया गया है कि विवादित भूमि का टुकड़ा उन्होंने खरीदा है जो अपखण्डन की परिभाषा में आता है। यद्यपि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में अपखण्ड की प्लीडिंग नहीं ली है तथापि ऐसा क्रय लोकनीति के विपरीत होने से अवैध है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उनके द्वारा खरीदा गया 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि का टुकड़ा उनके अन्य खातेदारी की भूमि से लगता हुआ हो। विवादग्रस्त भूमि सन्1968 में क्रय की तब सम्वत 2025 था। सम्वत 2025 से 2032 की खसरा गिरदावरी कब्जे के सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं हुई है इससे यह साबित नहीं होता है कि वादी–रेस्पो0 का कब्जा विक्रय के उपरान्त इस भूमि पर रहा है। जिन वर्षों की खसरा गिरदावरियों की नकलें प्रस्तुत हुई है वह वाद दायर करने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के बाद की है। इस परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,शाहपुरा को लौटाया गया एवं निर्देशित किया गया कि वह इस बात की जांच करे कि क्या वादी के द्वारा खरीदा गया भू भाग अपखण्डन था तथा ऐसी खरीद से उन्हें क्या हक प्राप्त होते हैं। पक्षकारों के कब्जे के संबंध में भी वह दोनों पक्षों से पुनः विस्तृत साक्ष्य प्राप्त कर प्रकरण को निर्णित करे। इस निर्देश के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । उसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.12.2013 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र खारिज किया ।

18. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण पंजिबद्ध करने के उपरान्त अतिरिक्त तनकी कायम की :– " आया वादी द्वारा खरीदा गया भू भाग अपखण्ड था , तथा ऐसी खरीद से उसे क्या हक प्राप्त होते हैं ? बाकी तनकियात में तनकी नम्बर 1 :– क्या ग्राम मीणों की कोटडी की आराजी खसरा नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उरजा ने दिनांक 27.6.1968 कोवादी को 99 रूपयेमें बिकाव कर कब्जा वादी को करा दिया । इसी प्रकार तनकी नम्बर 2:– क्या दिनांक 27.6.1968 से उक्त भूमि पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है । , तनकी नम्बर 3:– क्या वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है? तनकी नम्बर 4 :– क्या प्रतिवादी संख्या 1 उरजा की पत्नि तथा बेटियों को इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था ? तनकी नम्बर 5 :– आया वादी द्वारा खरीदा गया भू भाग अपखण्ड था तथा ऐसी खरीद से उसे क्या हक प्राप्त होते हैं ? तनकी नम्बर 6 :– दादरसी को भी पुनः अभिलिखित किया गया तथा पूर्व में स्पष्ट विवेचन के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त व स्पष्ट निष्कर्षण के बावजूद तनकीवार पुनः विवेचन कर तनकी संख्या 1 व 2 बाबत पूर्व में लिए गए निर्णय को परिवर्तित कर दिया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को अपील के निर्णय में प्रतिप्रेषण के क्रम में दिये गए निर्देशों की सीमा तक ही पुनः विवेचन करना था, परन्तु प्रतिप्रेषिण के बिन्दुओं की हद तक जांच न कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में निर्णित तनकीयात का पुनः विवेचन किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता ।

19. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वादी द्वारा खरीदे गए भू भाग के अपखण्डन होने तथा ऐसी खरीद से उन्हें प्राप्त होने वाले हकों का विस्तृत विवेचन नहीं किया है। पक्षकारों के कब्जे के सम्बन्ध में भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दोनों पक्षों से पुनः विस्तृत साक्ष्य प्राप्त कर प्रकरण निर्णित करते परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार पुनः विवेचन कर तनकी नम्बर 1 व 2 को निर्णित करते हुए अंकित किया है कि " उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार मामले में यह तथ्य स्पष्ट होते हैं कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि रही । जिसका बेचान जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रतिवादी नम्बर 2 के हक मे होना साबित है। उक्त आराजी मे से कुछ हिस्सा 2 बीघा 12 बिस्वा पूर्व में 99/'रूपये के अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से वादी को बेचान किया जाना बताया गया है । यहॉ यह स्पष्ट होता है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से वादी को हस्तान्तरण की गई भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 का होना साबित होता है। प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार ने पूर्व में वादी के हक में 99/—रूपये मे बेचान किया जाना अपने बयानों में स्वीकार नहीं किया है । वादी के द्वारा विवादित आराजी पर दिन—प्रतिदिन कब्जे काश्त के दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि हस्तान्तरित हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 2का अधिकार बनता है। जब तक कि रजिस्टर्ड बेचान नामा सिविल न्यायालय से खारिज नहीं हो जाता प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। एवं वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। " **इस प्रकार तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के खिलाफ निर्णित की गई है।** अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उभयपक्ष से कोई साक्ष्य लिया जाना प्रकट नहीं है। मेरा विनम्र अभिमत है कि जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.94 को तनकी नम्बर 1 व 2 को वादी के पक्ष में निर्णित कर दिया गया था तथा न्यायालय हाजा द्वारा तनकी नं0 1 व 2 के पुनः परीक्षण के निर्देश नहीं दिये थे तब कोई नई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं लिये जाने के बावजूद पूर्ववत प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही तनकी नम्बर 1 व 2 पर अपना अभिमत बदलते हुए पूर्व में वादी के पक्ष में तनकीयात निर्णित किये जाने के उपरान्त पुनः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2013 में वादीगण के विरूद्ध तनकीयात 1 व 2 निर्णित की गई है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

20. पूर्व के प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया था, तथा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त तनकीयात भी कायम की जा चुकी है, अतः प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय स्तर पर दो बार परीक्षण हो जाना प्रकट है। अतः हम यह उचित समझते हैं कि सम्पूर्ण पत्रावली का विवेचन कर व पूर्व में जारी समस्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत आदेश जारी करें। अतः उभयपक्ष को सुना गया व पत्रावली व निर्णयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण लौटाया जा कर निर्देशित किया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

था कि " **क्या वादी के द्वारा खरीदा गया भू भाग अपखण्डन था तथा ऐसी खरीद से उन्हें क्या हक प्राप्त होते हैं।**" इस बिन्दु पर अपखण्डन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विस्तृत विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

21. वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उरजा द्वारा अपीलार्थीगण के पिता गंगाराम को 99/—रूपये में अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर कब्जा संभलाया गया था। उसके उपरान्त कयसुदा भूमि पर गोगाराम का कब्जा होना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.94 में मान लिया गया था। अब मात्र अपखण्डन के बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय को विचारण करना था। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 5 में जो अपना अभिमत व्यक्त किया है वह इस प्रकार है कि :—" प्रतिवादी ने अतिरिक्त तनकी कायम कराई है। जिसमें बताया है कि वादी द्वारा खरीदा गया भू भाग अपखण्ड था। ऐसी खरीद से उसे कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। जैसा कि तनकी नम्बर 1 व 2 में विवेचन किया गया । वादी ने 99/—रूपये में खसरा नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा दिनांक 27.6.1968 को खरीद किया जाना बताया है। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड बेनामा आराजी खसरा नम्बर 859 रकबा 5 बीघा 4 बिस्व दिनांक 7.7.1980 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तत्सयम प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पूर्व में बेचान की गई भूमि अपखण्ड के रूप में रहीहै। इसके बाद दिनांक 7.7.1980 को सम्पूर्ण रकबा बेचान हुआ है। जो विधिवत बेचान की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में वादी को कोई हक अधिकार कानूनन पैदा नहीं होते हैं। अतः यह तनकी वादी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खिलाफ निर्णित की जाती है। " अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपखण्ड के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा ही अपीलार्थीगण के पिता/गोगाराम द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र राशि 99/—रूपये के प्रतिफल की अदायगी के उपरान्त क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था। इस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार नही किया गया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 27.09. 1994 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी आदेश दिनांक 29.11. 1996 द्वारा विक्रय दस्तावेज दिनांक 07.07.1980 को साक्ष्य में खण्डित नहीं होने से व दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य से विक्रय प्रमाणित होने से तनकी नं0 1 व 2 वादी के हक में निर्णित की गई है, जिसे परिवर्तित करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था। जब वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता उरजा द्वारा पूर्व में ही विक्रय कर कब्जा अपीलार्थीगण के पिता को संभला दिया गया था । ऐसी स्थिति में उक्त आराजी नम्बर के रकबे को पुनःविक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नहीं था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उरजा के जीवित रहते हुए कोई विवाद नहीं किया गया । उरजा की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी को पुनः विक्रय किया गया एवं उसके उपरान्त वादग्रस्त आराजी में दखलन्दाजी पैदा की गई। जहॉ तक अपखण्डन का प्रश्न है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जो कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा क्रय की गई थी उसके सटती हुई गोगाराम/अपीलार्थीगण के पिता की खातेदारी आराजियात थी। जब किसी आराजियात के भू भाग को क्रेता अपनी आराजी से सटे होने के कारण क्रय कर उसमें शामिल कर काश्त करता है तो ऐसी भूमि का क्रय करना अपखण्डन की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

श्रेणी में नहीं आता है। अपीलाधीन प्रकरण में भी कयसुदा आराजियात का भू भाग केता की जमीन से सटता हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.94 में तनकी नम्बर 2 में अपना यही अभिमत व्यक्त भी किया है " मिश्री के पक्ष में लाखा का कथन है कि वह मिश्री का भाई है तथा खरीदने की दिनांक अर्थात 1980 से मिश्री काश्त कर रहा है। **जिरह में यह कहना कि पास में गोगाराम की भूमि है** तथा रामस्वरूप की भूमि भी है। **यहॉ यह संदेह अवश्य प्रकट होता है कि गोगाराम ने जो भाग आराजी का खरीदा वह अपनी भूमि में मिलाकर काश्त कर रहा है।** " जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 27.9.94 को निर्णित करतेहुए तनकी नम्बर 2 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से सटती हुई अपीलार्थीगण के पिता/गोगाराम की भूमि होना मान लिया गया है एवं अपनी आराजी में उक्त कय सुदा भूमि को मिलाकर काश्त करना भी मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का दिनांक 6.6.1968 को कय करना अपखण्डन की श्रेणी में नहीं आता है।

अपखण्डन का बिन्दु तत्समय न्यायालय हाजा द्वारा जोड़ा जा कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। यह सही है कि जिस समय विक्रय पत्र निष्पादित किया गया उस समय धारा 42ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में था। विधिक स्थिति यह है कि धारा 42ए को भूतलक्षी प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है। इस बाबत आरआरटी 2016(2)पृष्ठ 758 पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विस्तृत आदेश अभिलिखित किया गया है जिसमें 1998 आरआरडी पेज 323 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित सिद्धान्त अंकित किया है। "RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955-SECTION 42(A) AND 53(1)- Amendment regarding regularisation of

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

division of holding retrospective-The Government made amendment in Sec.42-A of the Act and R 24 DDD of the rajasthan Tenancy(Government) Rules as Government has decided to regularize the division of holdings made by the land holders for agricultural purposes in contravention of Sec.42(a) of the Rajasthan Tenancy Act which prohibited division of land holding into fragments of less areas then the minimum prescribed area and subsequently Sec.5, 42(a), 42(a),42(a) & 53 of the Act were also amended and restrictions regarding fragmentation had been deleted. The amended provisions are prima facie retrospective in nature and the said amendments go in the root of the matter. The Hon'ble High Court set aside the judgment and decree and remanded the case for fresh decision." इस न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में धारा 42 ए के भूतलक्षी प्रभाव से विलोपित किए जाने पर अपीलाधीन प्रकरण में अपखण्डन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं चूंकि पूर्व में साक्ष्य सबूतों के आधार पर विक्रय दिनांक 27.06.1968 को विधिसम्मत माना जा चुका है। अतः अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

22. अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 27.9.94 एवं बाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12. 2013 में विरोधाभाषी अभिमत व्यक्त किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रेकार्ड से परे जाकर दिनांक 30.12.2013 को पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अंकन करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के पिता गोगाराम द्वारा क्रय सुदा ग्राम मीणों की कोटडी स्थित आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जो कि तत्कालीन विक्रेता उरजा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मीणा से दिनांक 6.6.1968 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था वह अपखण्डन की श्रेणी में नहीं आने एवं वादग्रस्त आराजी पर क्रेता गोगाराम का कब्जा होने एवं उसके उपरान्त वादीगण का कब्जाकाश्त होने से वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

23. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण को मौजा मीणा की कोटडी स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न हीं किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

24. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/60/2014

उनवान

1. गंगाराम पिता गोविन्दराम मीणा निवासी मीणों की कोटडी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :–

1/1 देवकिशन पिता स्व0 गंगाराम मीणा
1/2 करण पिता गंगाराम मीणा,
1/3 मदन पिता गंगाराम मीणा,
1/4 गीता पुत्री गंगाराम मीणा,
1/5 शांति पुत्री गंगाराम मीणा,
1/6 सुशील पुत्री स्व0 गंगाराम मीणा निवासी मीणों की कोटडी, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. उदा पिता उरजा मीणा निवासी मीणों की कोटडी (मृतक के कायम मुकामान)

1/1 हरजु पत्नि स्व0 उदा मीणा नाम डिलिट दिनांक 2.6.2017
1/2 शंकर लाल पिता उदा मीणा
1/3 कालू पिता स्व0 उदा मीणा निवासी मीणो की कोटडी हाल दुगार तहसील व जिला चित्तोडगढ

2. मिश्री पिता बरदा मीणा निवासी मीणों की कोटडी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 11/1997(पूर्व प्रकरण संख्या 71/80 रा.वा.) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/60/2014 मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 17.9.2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री बी एल गुर्जर प्रत्थर्थी संख्या 2 की ओर से श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता की उपस्थिति में एवं प्रत्यर्थी सख्या 3 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 17.9.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण को मौजा मीणा की कोटडी स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न हीं किसी अन्य से करावे।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 17.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस